

(प्रपत्र-ब)

SECC-2011 सूची में नाम शामिल नहीं होने पर प्रार्थियों द्वारा उपयोग हेतु  
आवेदन पत्र

(ऐसे लाभार्थी द्वारा भरा जाना है जिनका नाम SECC-2011 के डाटा  
के आधार पर तैयार सूची में नाम नहीं हैं।)

जिला अपीलीय समिति (प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण)  
जिला

विषय प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों की सूची में नाम  
जुड़वाने के क्रम में।  
द्वारा विकास अधिकारी पंचायत समिति जिला  
महोदय,

मैं शपथ पूर्वक दिया करता हूँ कि मैं पुत्र पति  
श्री मूल निवासी (ग्राम का नाम) ग्राम पंचायत  
पंचायत समिति तहसील जिला  
वा निवासी हूँ।

- 1 मोटर साईकेल दुपहिया/तिपहिया/चौपहिया वाहन/मच्छली नाव होने पर।
- 2 मैकेनाइज्ड तिपहिया/चौपहिया वाहन कृषि उपकरण होने पर।
- 3 विरान कैंडिट कार्ड, कैंडिट सीमा के साथ 50 हजार या उससे अधिक होने पर।
- 4 परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी होने पर।
- 5 परिवार के गैर कृषि उधमों का सरकार के साथ पंजीकृत होने पर।
- 6 परिवार के किसी भी सदस्य की आय अधिकतम रूपये 10 हजार प्रति माह होने पर।
- 7 इन्कम्टैक्स देने पर।
- 8 व्यावसायिक कर देने पर।
- 9 स्वयं का रेफिजरेटर होने पर।
- 10 स्वयं का लेण्डलाइन होने पर।
- 11 स्वयं 2.5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि के साथ एक सिंचित उपकरण होने पर।
- 12 5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि के लिए दो या अधिक फसल मौसम होने पर।
- 13 मालिक 7.5 एकड़ भूमि या अधिक, एक सिंचाई उपकरण के साथ होने पर।
- 14 किसी भी सरकारी योजना में आवास निर्माण हेतु मेरे परिवार के पक्ष में आदिनाक तक कोई स्वीकृति जारी नहीं हुई है अथवा कोई पक्का मकान आवंटन नहीं होने पर।

हूँ कि मेरे परिवार के पास कोई आवास नहीं है/ एक कमरे का कच्चा आवास/दो कमरों का कच्चा आवास एवं मेरा नाम SECC-2011 के आधार पर तैयार पात्रता सूची में नहीं है।  
संलग्न —

- 1 आधार कार्ड/राशन कार्ड/वाटर आईडी की स्वयं सत्यापित प्रति।

हस्ताक्षर

मय पता.....

सत्यापन रिपोर्ट

सत्यापित किया जाता है कि श्री पुत्र पति  
द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों की जांच की गई है एवं भौतिक सत्यापन के अनुसार प्रार्थी के पास वर्तमान में कोई आवास नहीं है/ एक कमरे का कच्चा आवास/दो कमरों का कच्चा आवास एवं पात्रता की सूची में शामिल नहीं किये के लिए निर्धारित 14 मापदण्डों के आधार पर इनकी जांच करने के उपरान्त इनका नाम जोड़े जाने हेतु सत्यापित कर नाम जोड़े जाने की सिफारिश की जाती है।

ग्राम सेवक पदेन सचिव

ग्राम पंचायत

पठवारी हल्का

संदर्भ

### **ब्लॉक स्तरीय अपीलेट कमेटी द्वारा अभिशंषा**

जॉच पश्चात आवेदक का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण हेतु SECC-2011 की सूची में पुनः नाम जोड़ने/नहीं जोड़ने अथवा नया नाम जोड़ने/नहीं जोड़ने की अभिशंषा की जाती है।

आवेदक का अपात्र होने का कारण

विकास अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

### **जिला स्तरीय अपीलेट कमेटी द्वारा स्वीकृत**

जॉच पश्चात आवेदक का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण हेतु SECC-2011 की सूची में पुनः नाम जोड़ने/नहीं जोड़ने अथवा नया नाम जोड़ने/नहीं जोड़ने की अभिशंषा की जाती है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

सदस्य एनजीओ

जिला कलक्टर

## कार्यालय पटवार मण्डल

## तहसील

प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण की पात्रता हेतु भूमि संबंधी प्रमाण पत्र  
प्रमाणित किया जाता है कि वे

जाति

निवारी

पिला / पानी श्री

याम या बायत

प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण की पात्रता हेतु निर्धारित 13 मापदण्डों की सूक्ष्मा मापदण्ड  
संख्या 3,11,12 व 13 की स्थिति जनरल रिकोर्ड के अनुसार निम्न प्रकार है

| हिन्दु संस्कृता | प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण की अपात्रता के आधार की स्थिति का विवरण        | हाँ / नहीं | विवरण |
|-----------------|---|------------|-------|
| 3               | किसान क्रेडिट कर्ज़ क्रेडिट सीमा के साथ 50 हजार या उससे अधिक का होने पर।        |            |       |
| 11              | स्वयं 25 एकड़ (625 बीघा) या अधिक सिंचित भूमि के साथ एक सिंचित उपकरण होने पर।    |            |       |
| 12              | 5 एकड़ (1250 बीघा) या अधिक सिंचित भूमि के लिए दो या अधिक फसल मौसम होने पर।      |            |       |
| 13              | मालिक 75 एकड़ (1875 बीघा असिंचित) भूमि या अधिक, एक सिंचाई उपकरण के साथ होने पर। |            |       |

(सिंचाई उपकरण - डीजल / केरोसिन / इलेक्ट्रिक पंपसेट / फंकारा सिंचाई / ड्रिप सिंचाई प्रणाली आदि)

हरताक्षर पटवारी